



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP01431737716789V
PRAKASH JAISWAL

e-Stamp

ACC Code-UP14161804 Lic.No.-725

District Court, Prayagraj

Mob.- 9696317624

District Sadar, Prayagraj

Certificate No. : IN-UP01431737716789V
Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 11:37 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14161804/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP AHD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1416180490437722425484V
Purchased by : VIPRAGYAN SEWA SAMITI PRAYAGRAJ
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : VIPRAGYAN SEWA SAMITI PRAYAGRAJ
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : VIPRAGYAN SEWA SAMITI PRAYAGRAJ
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)




शपथ पत्र
(प्रारूप-अ)

हम ज्ञान सिंह, एवं विकास सिंह, कगशः अध्यक्ष एवं सचिव विप्रज्ञान सेवा समिति 459-सी पूरा दब्लेन अल्लापुर, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा प्रयाग इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बेन्दौ (प्रयागराज-गिर्जापुर रोड), मुंगारी टोल प्लाजा के पास, करछना, प्रयागराज नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संरधान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

EN010

2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम बेन्टों, करछना, प्रयागराज में गाटा संख्या 539 एवं 540, रकबा क्रमशः 0.0910 एवं 0.7530 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.844 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 539 एवं 540, रकबा क्रमशः 0.0910 एवं 0.7530 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.844 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 04/02/2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लारा रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।



11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों की भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।


13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।




हस्ताक्षर सचिव


हस्ताक्षर अध्यक्ष

SOLEMNNY AFFIRMED before me
on 23/09/23 at AM/PM, by Sri
Smt. Vikas Singh & Gyan Singh
identified by Mr. Self
Advocate to be his/her affidavit are
true and correct which is here by
verified and attested


Advocate Notary
Allahabad

SIGN/T.I. IDENTIFIED


Advocate
U.C. Tiwari